संख्या-35/2018/890/96-आयुष-2-2018-189/2015

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ दिनॉक 23 मार्च, 2018

विषय- राजकीय डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, देवकाली, फैजाबाद के उन्नयन एवं मानकपूति हेतु कालेज से सटी भूमि गाटा संख्या-298 (रकबा-2660 वर्ग फुट) को सहमति के आधार पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 के क्रम में आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/पी0/2017-18-2055, दिनॉक 09 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, देवकाली, फैजाबाद के उन्नयन एवं मानकपूति हेतु कालेज से सटी भूमि गाटा संख्या-298 (रकबा-2660 वर्ग फुट) को सहमति के आधार पर क्रय किये जाने हेतु रू0 53,20,000/- (रूपये तिरपन लाख बीस हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 12,51,09,000/- (रूपये बारह करोड इक्यावन लाख नौ हजार मात्र) में से रू0 53,20,000/- (रूपये तिरपन लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके धनराशि की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
3- अवमुक्त धनराशि का अहरण के अवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही जायेगा।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्वविरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से निदेशक, प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस प्रयोजना पर आगामी वित्तीय स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 34 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- शासन की ओर से क्रय अभिलेख निष्पादित करने हेतु प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद को अधिकृत किया जाता है।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या-35/2018/890(1)/96-आयुष-2-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, फैजाबाद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/फैजाबाद।
4- प्राचार्य, राजकीय डा0 बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, देवकाली, फैजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग 1/2/(समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ)
6- श्रीमती उमा देवी पाण्डेय पत्नी श्री देवेन्द्र देव पाण्डेय, निवासिनी- मोहल्ला- इन्दिरा नगर निकट मौर्या लॉज, पोस्ट- तेतरी बाजार जिला सिद्धार्थनगर।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।